न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 92/2019

डॉ0 जितेन्द्र सिहं पुत्र लक्ष्मण सिहं ग्राम पोस्ट सुलताना वार्ड नम्बर 17 तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 04.07.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.06.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 92/2019 पर दिनांक 10.06.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/787–88 दिनांक 11.06.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक न्याय/सूअ/प्र.अ./2019/1914 दिनांक 19.06.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 13.05.2019 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र संख्या 135 दिनांक 16.05.2019 द्वारा प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग को आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। अपीलान्ट के आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग द्वारा पत्रांक 929–30 दिनांक 11.06.2019 को आवेदक को सूचित किया कि वांछित सूचना 06 पृष्ठो की है, का कुल शुल्क 12/रूपये इस कार्यालय की रोकड़ शाखा में जमा करावें ताकि वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा सकें। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 13.05.2019 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग, कलेक्ट्रेट झुंझुनू से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 16.05.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग को आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। अपीलान्ट के आवेदन में चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी ग्रामीण विकास अनुभाग द्वारा पत्रांक 929–30 दिनांक 11.06.2019 को आवेदक को सूचित किया कि वांछित सूचना 06 पृष्ठो की है, का कुल शुल्क 12/रूपये उनके कार्यालय की रोकड़ शाखा में

जिला कलक्टर झुन्झुनू
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

जमा करावें ताकि वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा सकें। अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा करवा कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू